The Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksh (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980

Act 8 of 1980

Keyword(s):
Salary, Pension, Allowances, MLA

Amendment appended: 19 of 2002, 10 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

845

मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८०

(क्रमांक ८ सन् १९८०)

तथा

उसके अधीन निर्मित नियम

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
१९८५

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् १९८०

मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८०

विषय सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

२. परिभाषाएं

३. नेता प्रतिपक्ष का वेतन

४. नेता प्रतिपक्ष को सत्कार भत्ता

५. नेता प्रतिपक्ष के लिए निवास स्थान

६. नेता प्रतिपक्ष के लिए वाहन

७. नेता प्रतिपक्ष के लिए चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि

८. किसी वृति, व्यापार आदि के करने का प्रतिषेध

९. नेता प्रतिपक्ष के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता

१०. टेलीफोन सुविधाएं

११. सचिवालयीन सुविधाओं की व्यवस्था .

१२. भत्तों तथा परिलब्धियों में से आय कर नहीं लिया जायेगा

१३. किसी व्यक्ति के नेता प्रतिपक्ष होने की तारीख या नेता प्रतिपक्ष न रहने की तारीख से संबंधित अधिसूचना उस संबंध में निश्चायक साक्ष्य होगी.

१४. नियम बनाने की शक्ति

१५. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १६ सन् १९६७ का संशोधन

१६. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 7 सन् 1973 का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् १९८०

मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८०

[दिनांक १८ अगस्त, १९८० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक १९ अगस्त, १९८० को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान मण्डल में नेता प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्तों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० है.

(२) यह तत्काल प्रवृत्त होगा.

२. इस अधिनियम में,—

परिभाषाएं.

(क) "नेता प्रतिपक्ष" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का वह सदस्य, जो राज्य विधान सभा में, राज्य सरकार के विपक्ष में के उस दल का, जिसकी सदस्य संख्या सबसे अधिक है तत्समय नेता है और जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई है,

स्पष्टीकरण—जहां विधान सभा में राज्य सरकार के विपक्ष में दो या दो से अधिक ऐसे दल हैं जिनकी सदस्य संख्या समान है, वहां विधान सभा का अध्यक्ष दलों की प्रास्थिति का ध्यान रखते हुए ऐसे दलों के नेताओं में से किसी एक दल के नेता को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और ऐसी मान्यता अंतिम तथा निश्चायक होगी.

(ख) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं और जो मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) में परिभाषित की गई हैं, वही अर्थ होगा जो कि उनके लिए उस अधिनियम में क्रमशः दिया गया है.

नेता प्रतिपक्ष का वेतन

*३. नेता प्रतिपक्ष को एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायगा.

नेता प्रतिपक्ष का सत्कार भत्ता.

४. नेता प्रतिपक्ष को दो सौ पचास रुपये सत्कार भत्ता (समव्युअरी अलाउन्स) दिया जायगा.

नेता प्रतिपक्ष के लिए निवास स्थान.

५. (१) नेता प्रतिपक्ष, जब तक कि वह ऐसे नेता के रूप में बना रहता है और उसके अव्यवहित पश्चात् एक मास की कालावधि तक भोपाल में एक सुसज्जित निवास स्थान का, उपयोग किराये का भुगतान किये बिना करने का हकदार होगा और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण की बाबत उसके द्वारा वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार देय नहीं होगा.

(२) यदि नेता प्रतिपक्ष उपधारा (१) में दी गई प्रसुविधा का लाभ नहीं उठाता है, तो वह उसके बदले में उतना गृह किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि धारा ३ के अधीन उसे देय वेतन के बीस प्रतिशत के बराबर हो.

(३) भोपाल स्थित निःशुल्क सुसज्जित निवास-स्थान जिसके के लिये उपधारा (१) के अधीन उपबन्ध किया गया है, के अतिरिक्त नेता प्रतिपक्ष किसी ऐसे अन्य स्थान, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, नेता प्रतिपक्ष का शासकीय निवास स्थान घोषित करे, में स्थित सुसज्जित निवास स्थान का किराये

प्रतिपक्ष

* अधिनियम क्रमांक २१ सन् १९८१ द्वारा रुपये एक हजार पांच सौ के स्थान पर रुपये एक हजार सात सौ पचास स्थापित किया गया.

का भुगतान किये बिना उस समय तक के लिये उपयोग करने का भी हकदार होगा, जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहती है.

(४) उस निवास-स्थान को जिसकी कि व्यवस्था नेता प्रतिपक्ष के लिये उपधारा (१) के अधीन की गई है, सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय पैंतीस हजार रुपये की आर्थिक सीमा के अध्यधीन होगा.

(५) निवास-स्थान एवं उद्यान, जिनके कि लिये उपधारा (१) के अधीन उपबन्ध किया गया है के समारक्षण उनकी वार्षिक मरम्मतों तथा उनके अनुरक्षण के बारे में किया जाने वाला वार्षिक व्यय ऐसी आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों में प्रधिकथित की जायें.

†स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिये निवास स्थान के अन्तर्गत आते है उससे अनुरक्षण कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य भवन, एवं उसका उद्यान और किसी निवास स्थान के संबंध में "अनुरक्षण" के अन्तर्गत आता है स्थानीय रेटों तथा करों का भुगतान और विद्युत् एवं जल की व्यवस्था.

नेता प्रतिपक्ष के लिये वाहन.

६. (१) नेता प्रतिपक्ष को, उसके उपयोग के लिये एक उपयुक्त मोटरयान दिया जायगा जिसका क्रय तथा अनुरक्षण उन नियमों के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाये जायें, सरकारी व्यय से किया जायगा.

(२) राज्य सरकार ऐसे मोटरयान के लिये सरकारी व्यय से दो मोटर चालक (शोफर) की भी व्यवस्था करेगी और ऐसे मोटरयान के लिये, ऐसे मोटरयान द्वारा की गई यात्राओं (जो उस यात्राओं से भिन्न हों जिनके लिये यात्रा भत्ता अनुज्ञेय है) के लिये उपयुक्त मोटर ईधन का प्रदाय करेगी, जो प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ पचास लीटर होगा.

७. ††"(१) नेता प्रतिपक्ष को पांच सौ रुपये प्रति मास का चिकित्सा भत्ता दिया जायगा".

नेता प्रतिपक्ष के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार.

†††(२) उपधारा (१) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त नेता प्रतिपक्ष के कुटुम्ब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे मान तथा ऐसी शर्तों पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुम्ब के सदस्यों की अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ (१९५१ का संख्यांक ६१) के अधीन समय-समय पर बनाये गये चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती हैं.

×"स्पष्टीकरण.—इस धारा में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अन्तर्वासी रोगी के रूप में चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार.

किसी वृत्ति व्यापार आदि के करने का प्रतिषेध.

८. नेता प्रतिपक्ष, अपने पद, जिसके कि लिये वह इस अधिनियम के अधीन वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता है, की अवधि के दौरान —

(क) कोई वृत्ति नहीं करेगा या व्यापार में नहीं लगेगा या कोई अन्य नियोजन पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए ग्रहण नहीं करेगा.

(ख) सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेन्शन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) के अधीन कोई वेतन तथा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा और न ही उक्त अधिनियम के अधीन कोई अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा.

नेता प्रतिपक्ष के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ता.

९. (१) नेता प्रतिपक्ष राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार—

(क) (एक) पद ग्रहण करने के लिए भोपाल के बाहर के अपने सामान्य निवास स्थान से भोपाल तक की की गई यात्रा के सम्बन्ध में, और

---

† अधिनियम क्रमांक २१ सन् १९८१ द्वारा प्रतिस्थापित.

†† अधिनियम क्रमांक २४ सन् १९८३ द्वारा प्रतिस्थापित.

††† अधिनियम क्रमांक २४ सन् १९८३ द्वारा प्रतिस्थापित.

× अधिनियम क्रमांक २४ सन् १९८३ द्वारा प्रतिस्थापित.

(दो) पदमुक्त होने पर भोपाल से भोपाल के बाहर के अपने सामान्य निवास-स्थान तक की गई यात्रा के सम्बन्ध में अपने स्वयं के लिए तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिये जो कि उस पर आश्रित हैं और अपनी तथा अपने कुटुम्ब की चीजवस्तु के परिवहन के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, और

(ख) उन दौरों के सम्बंध में, जो कि उसने —

(एक) नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में किये हो, और

(दो) किसी समिति के सदस्य की हैसियत से अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उस समिति के सम्मिलन में हाजिर होने के लिये किये हों,

यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा.

(२) इस धारा के अधीन किसी भी यात्रा भत्ते का नकद भुगतान किया जा सकेगा या उसके बदले में निःशुल्क शासकीय परिवहन की व्यवस्था की जा सकेगी.

(३) नेता प्रतिपक्ष उपधारा (१) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये दौरों के लिये देय यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने के अतिरिक्त इस बात का हकदार होगा कि जब वह ऐसे दौरों के दौरान विश्राम भवनों (सर्किट हाऊसेज) तथा विश्राम गृहों (रेस्ट हाऊसेज) में, जिनका अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठहरे तो उसे उन विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में वास सुविधा तथा विद्युत् की व्यवस्था उसके ठहरने की कालावधि के लिये निः शुल्क उपलब्ध रहे.

१०. (१) नेता प्रतिपक्ष अपनी पदावधि के दौरान इस बात का हकदार होगा कि धारा ५ के अधीन उसके निवास-स्थान पर टेलीफोन शासकीय खर्च से लगाया जाय. टेलीफोन सुविधाएं

(२) उपधारा (१) के अधीन लगाये गये टेलीफोन के लगाये जाने बाबत, उसके लिये प्रारम्भिक निक्षेप बाबत उसके अनुरक्षण के लिये किराये के प्रभारों की बाबत तथा किसी भी अन्य प्रभार की बाबत कोई भी प्रभार नेता प्रतिपक्ष द्वारा वैयक्तिक रूप से देय नहीं होगा.

११. *"नेता प्रतिपक्ष अपनी निजी स्थापना में कर्मचारीवृन्द के लिये उसी सीमा तक हकदार होगा जिस सीमा तक कोई मंत्री, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन हकदार होता है." नेता प्रतिपक्ष की निजी स्थापना.

१२. नेता प्रतिपक्ष को,— भत्तों तथा परिलब्धियों में से आय कर नहीं लिया जायेगा.

(एक) इस अधिनियम के अधीन देय समस्त भत्तों की बाबत, और

(दो) किराये का भुगतान किये बिना, सुसज्जित निवास-स्थान की उस सुविधा की बाबत एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत जो कि नेता प्रतिपक्ष को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय हैं.

नेता प्रतिपक्ष से आय कर नहीं लिया जायगा तथा वह आयकर, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार देय होगा मानों कि नेता प्रतिपक्ष को उपयुक्त मदों से प्रोदभूत होने वाली आय ही आय कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का संख्यांक ४३) के प्रयोजनों के लिये नेता प्रतिपक्ष की एक मात्र आय है.

१३. वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष हो जाता है या नेता प्रतिपक्ष नहीं रह जाता है की राजपत्र में अधिसूचित की जायगी और कोई भी ऐसी अधिसूचना, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को नेता प्रतिपक्ष बना था अथवा नेता प्रतिपक्ष नहीं रह गया था. किसी व्यक्ति के नेता प्रतिपक्ष होने की तारीख या नेता प्रति पक्ष न रहने की तारीख से संबंधित अधिसूचना उस संबंध में निश्चायक साक्ष्य होगी.

---

*अधिनियम क्रमांक २१ सन् १९८१ द्वारा प्रतिस्थापित.

नियम बनाने की शक्ति.

१४. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा ५ की उपधारा (५) के अधीन निवास स्थान तथा उद्यान के समारक्षण, वार्षिक मरम्मत तथा अनुरक्षण के बारे में उपगत किये जाने वाले वार्षिक व्यय की आर्थिक सीमा.

(ख) नेता प्रतिपक्ष को धारा ६ के अधीन दिये जाने वाले मोटरयान का क्रय तथा अनुरक्षण .

(ग) धारा ९ के अधीन नेता प्रतिपक्ष को अनुज्ञेय यात्रा तथा दैनिक भत्ता.

(घ) कोई भी अन्य विषय जो कि विहित किया जाना हो या विहित किया जाय.

(३) इस धारा द्वारा प्रदत्त की गई नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी आती किन्तु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व की तारीख से नहीं दिया जायगा और यह भी कि कोई भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जायगा कि जिससे नेता प्रतिपक्ष के विद्यमान हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो.

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

मध्यप्रदेश अधि - नियम क्रमांक १६ सन् १९६७ का संशोधन.

१५. मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) में, अनुसूची में मद १६ तथा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित मद तथा स्पष्टीकरण स्थापित किये जायं. अर्थात्:—

"१६. मध्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष का पद.

स्पष्टीकरण.—मद १६ के प्रयोजन के लिये नेता प्रतिपक्ष का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० में दिया गया है.".

मध्यप्रदेश अधि-नियम् क्रमांक ७ सन् १९७३ का संशोधन.

१६. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) में—

(एक) धारा २ के खंड (ख) में ,—

(क) उपखण्ड (चार) में, अन्त में के शब्द "और" का लोप किया जाय ;

(ख) उपखण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(चार-क) मध्यप्रदेश विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० में यथा परिभाषित नेता प्रतिपक्ष , और"

(दो) धारा ६-क की उपधारा (४) में खण्ड (तीन) में शब्द "या दोनों के रूप में" के पश्चात् शब्द या मध्यप्रदेश विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० में यथापरिभाषित नेता प्रतिपक्ष के रूप में" अन्तः स्थापित किये जायं:

(तीन) धारा ८ का लोप किया जाय.

("मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण दिनांक १० सितम्बर, १९८०)

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, तारीख ९ सितम्बर, १९८०

क्र. २९४५९-एफ-४-८०-इक्कीस-अ-(सं. का.)—मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) की धारा १४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (निवास स्थान, वाहन और यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, १९८० है.

(२) ये १९ अगस्त १९८० को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

२. नेता प्रतिपक्ष को नियमों का लागू होना :—मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश मिनिस्टर्स (रेसीडेन्स) रूल्स, १९६४; मध्यप्रदेश मंत्री (वाहनों का क्रय तथा अनुरक्षण नियम, १९७४) तथा मध्यप्रदेश मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, १९७२ जहां तक हो सके, नेता प्रतिपक्ष के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी मंत्री के मामले में लागू होते हैं.

३. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह प्रश्न विनिश्चय के लिए राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जायंगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. जौहरी, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक ६९७४ इक्कीस-अ-(सं.का.) दिनांक ८ मार्च, १९८३ द्वारा संशोधित.

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 OF 1980

THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1980.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Salary of Neta Pratipaksha.
4. Sumptuary allowance to Neta Pratipaksha.
5. Residence for Neta Pratipaksha.
6. Conveyance for Neta Pratipaksha.
7. Medical attendance and treatment, etc. to the Neta Pratipaksha.
8. Prohibition against practising any profession, trade, etc.
9. Travelling and daily allowances to Neta Pratipaksha.
10. Telephone facilities.
11. Provision of secretariat facilities.
12. Allowances and perquisites to be exclusive of income tax.
13. Notification respecting the date on which person became or ceased to be the Neta Pratipaksha to be conclusive evidence thereof.
14. Power to make rules.
15. Amendment of Madhya Pradesh Act No. 16 of 1967.
16. Amendment of Madhya Pradesh Act, No. 7 of 1973.

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 OF 1980

THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1980

[Received the assent of the Governor on the 18th August 1980; assent First published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 19th August 1980.]

An Act to provide for salaries and allowances of Neta Pratipaksha in the Madhya Pradesh Legislature.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

(2) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Act,—

(a) "Neta Pratipaksha" means that member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly who is, for the time being, the Leader in the State Legislative Assembly of the party in opposition to the State Government having the greatest numerical strength and recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly;

Explanation.—Where there are two or more parties in Opposition to the State Government in the Assembly having the same numerical strength, the Speaker of the Assembly shall having regard to the status of the parties, recognise any one of the Leaders of such parties as the Neta Pratipaksha for the purposes of this section and such recognition shall be final and conclusive.

(b) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

Salary of Neta Pratipaksha.

*3. There shall be paid to the Neta Pratipaksha a salary of one thousand and seven hundred and fifty rupees per mensem.

Sumptuary allowance to Neta Pratipaksha.

4. There shall be paid to the Neta Pratipaksha a sumptuary allowance of two hundred and fifty rupees per mensem. Amendment 4 (1) 1988

Residence for Neta Pratipaksha.

5. (1) The Neta Pratipaksha shall, so long as he continues as such leader and for a period of one month immediately thereafter, be entitled without payment of rent to the use of a furnished residence at Bhopal and no charge shall fall on him personally in respect of the maintenance of such residence.

---

* Substituted by Act No. 21 of 1983 Rs. One thousand seven hundred fifty.

(2) If the Neta Pratipaksha does not avail of the benefit of sub-section (1), he shall in lieu thereof, be entitled to a house rent allowance equal to twenty per centum of the salary payable to him under section 3.

(3) In addition to a free furnished residence at Bhopal under sub-section (1), the Neta Pratipaksha shall also be entitled to the use of a furnished residence without payment of rent at any other place which the State Government may from time to time, for the purpose of this Act, declare to be the place of official residence of the Neta Pratipaksha, so long as such declaration remains in force.

(4) The expenditure to be incurred in respect of furnishing of the residence provided to the Neta Pratipaksha under sub-section (1) shall be subject to the monetary limit of thirty five thousand rupees.

(5) The annual expenditure to be incurred in respect of up keep, annual repairs and maintenance of the residence and garden provided under sub-section (1) shall be subject to such monetary limits as may be laid down in the rules made in this behalf by the State Government.

Explanation.—For the purposes of this section "residence" includes the staff quarters and other buildings appurtenant thereto, and the garden thereof and "maintenance" in relation to a residence includes the payment of local rates and taxes and the proviso of electricity and water.

Conveyance for Neta Pratipaksha.

6. (1) There shall be provided to the Neta Pratipaksha for his use a suitable motor vehicle purchased and maintained at public expense in accordance with the rules to be made by the State Government in that behalf.

(2) The State Government shall also provide at Public expense* two chauffeurs for the motor vehicle, and also supply for the motor vehicle, motor fuel consumed for journeys (other than journeys for which travelling allowance is admissible) performed by the motor vehicle subject to a maximum of three hundred and fifty litres per month.

**7. (1) There shall be paid to the Neta Pratipaksha a medical allowance of five hundred rupees per mensem.

Medical attendance and treatment to Neta Pratipaksha.

***7. (2) In addition to the medical allowance payable under sub-section (1) the Neta Pratipaksha and the members of the family of the Neta Pratipaksha shall be entitled to medical attendance and treatment, free of charge, on the scale of and conditions applicable to the members of the All India Services and member of their families under the rules relating to medical attendance and treatment, made from time to time, under the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951).

***Explanation.*—In this section "medical attendance and treatment" means medical attendance and treatment on admission as an indoor patient".;

Prohibition against practising any profession, trade, etc.

8. A Neta Pratipaksha shall not, during the tenure of his office for which he draws salary and allowances under this Act,—

(a) practice any profession or engage in any trade or undertake for remuneration any other employment ; and

(b) draw salary and allowances and be entitled to any other facilities as a member under the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

---

* Substituted by Act No. 21 of 1981.
** Substituted by Act No. 24 of 1983.
*** Inserted by Act No. 24 of 1983.
† Substituted by Act No. 24 of 1983 chauffeurs two at the place of.

Travelling and daily allowances to Neta Pratipaksha.

9. (1) The Neta Pratipaksha shall in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, be entitled to,—

(a) travelling allowance for himself and the members of his family dependent upon him and for the transport of his and his family's effects:—

(i) in respect of the journeys to Bhopal from his usual place of residence out of Bhopal for assuming office ; and

(ii) in respect of the journey from Bhopal to his usual place of residence out of Bhopal on relinquishing office ; and

(b) travelling and daily allowance in respect of tours undertaken by him,—

(i) in the discharge of his duties as the Neta Pratipaksha ; and

(ii) in the discharge of his duties as a member of a committee for attending a meeting of that committee,

(2) Any travelling allowance under this section may be paid in cash or free official transport provided in lieu thereof.

(3) In addition to travelling and daily allowances payable in respect of tours specified in clause (b) of sub-section (1), the Neta Pratipaksha shall be entitled without payment of any charge, to accommodation in, and provision of electricity at, Circuit houses and Rest houses maintained by the State Government, for the period of his stay during such tours.

Telephone facilities.

10. (1) The Neta Pratipaksha shall during the term of his office be entitled to have a telephone installed at Government cost at the place of his residence under section 5.

(2) No charge shall fall on the Neta Pratipaksha personally in respect of installation of, initial deposit for, rental charges for maintenance of, and any other charges whatsoever in respect of, telephone installed under sub-section (1).

Personal Establishment of Neta Pratipaksha.

*"11. The Neta Pratipaksha shall be entitled to staff on his personal establishment to the same extent to which a Minister is entitled under the orders issued by the State Government in this behalf from time to time.".

Allowances and perquisites to be exclusive of income tax.

12. (i) All allowances payable ; and

(ii) furnished residence without payment of rent and other perquisites admissible ; to the Neta Pratipaksha under this Act shall be exclusive of income tax which shall be payable by the State Government. as if the income accruing therefrom to the Neta Pratipaksha were his only income for the purposes of Income Tax Act, 1961 (No. 43 of 1961).

Notification respecting the date on which person became or ceased to be the Neta Pratipaksha to be conclusive evidence thereof.

13. The date on which any person becomes or ceases to be the Neta Pratipaksha shall be notified in the Gazette and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became or ceased to be the Neta Pratipaksha on that date for all the purposes of this Act.

*Substituted by Act No. 21 of 1981.

Power to make rules.

14. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the monetary limit of the annual expenditure to be incurred in the up keep, annual repairs and maintenance of the residence and garden under sub-section (5) of Section 5 ;

(b) purchase and maintenance of a motor vehicle to be provided to the Neta Pratipaksha under Section 6 ;

(c) travelling and daily allowance admissible to the Neta Pratipaksha under Section 9 ;

(d) duties of the Neta Pratipaksha for purpose of Section 9 ;

(e) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of this Act but no retrospective effect shall be given so as to prejudicially affect the existing interests of the Neta Pratipaksha.

(4) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Amendment of Madhya Pradesh Act No. 16 of 1967.

15. In the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata, Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in the Schedule, for item 16 and Explanation, the following item and Explanation shall be substituted, namely :—

"16. The Office of the Neta Pratipaksha in the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

Explanation.—For the purpose of item 16, the Neta Pratipaksha shall have the meaning assigned to it in the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha Adhiniyam, 1980".

Amendment of Madhya Pradesh Act No. 7 of 1973.

16. In the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973),—

(i) in clause (b) of Section 2,—

(a) in sub-clause (iv), the word "and" at the end shall be omitted ;

(b) after sub-clause (iv), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(iv-a) the Neta Pratipaksha as defined in the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Virodhi Dal Ka Neta (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 ;"

(ii) in sub-section (4) of Section 6-A, in clause (iii), after the words "or as both" the words "or as Neta Pratipaksha as defined in the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Virodhi Dal Ka Neta (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980" shall be inserted, and

(iii) Section 8 shall be omitted.

Bhopal, the 9th September 1980

No. 29459-*F.* 4-80-*XXI-A* (*P.A.*).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Residence, Conveyance and Travelling and Daily Allowances) Rules, 1980.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 19th day of August, 1980.

2. *Application of rules to the Neta Pratipaksha.*—Subject to the provisions of the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980) the Madhya Pradesh Ministers (Residences) Rules, 1964, the Madhya Pradesh Ministers (Purchase and maintenance of Conveyances) Rules, 1974 and the Madhya Pradesh Ministers (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1972 shall, so far as may be, apply in the case of the Neta Pratipaksha as they apply in case of a Minister.

3. *Interpretation.*—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government for decision.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. N. JOHRI, Secy.

Amended by Notification No. 6974-21-A-D.A., Dated the 8th March 1983 of Law and Legislative Affairs Department.

27

डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर सी.जी.

पंजीयन क्रमांक [illegible]

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 4504/21-अ/प्रा./2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर 23 अगस्त, 2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम , 2001

मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2001 है.

(2) इस संशोधन का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उपधारा 1 को विलोपित किया जाय.

(4) मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 की धारा 4(3) में "दो सौ रुपये" के स्थान पर "छैः सौ रुपये" को स्थापित किया जाय.

नियंत्रक, मुद्रण [illegible], छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001.

(29) 12

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

सत्यमेव जयते

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2002—वैशाख 4, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3106/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 19-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप सचिव

13

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 19 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ — 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 19 सन् 2002) कहलाएगा.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 (1) का संशोधन. — 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5 की उपधारा (1) में शब्द "एक सुसज्जित" के पश्चात् "कार्यालय सह" शब्द जोड़े जाएं.

धारा 5 (4) का लोप. — 3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) का लोप किया जाए.

धारा 5 (5) का संशोधन. — 4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (5) में शब्द "मरम्मतों तथा अनुरक्षण" के पश्चात् शब्द "और साज सज्जा" तथा शब्द "निवास" के पहले जहां कहीं भी आया हो, जिसमें इस धारा का स्पष्टीकरण भी सम्मिलित है, शब्द "कार्यालय-सह" जोड़े जाएं.

"यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 2002 को पारित किया गया."

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3106/21-अ/प्रारूपण/01. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्र. 19 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप सचिव

CHHATTISGARH ACT
(No.19 of 2002)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSH (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ACT, 2002

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksh (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty third year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksh (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 19 of 2002). **Short title and Commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

2. In sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksh (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (hereinafter referred to Principal Act) after the words "of a furnished" the words "office cum" shall be added. **Amendment of Section 5 (1).**

3. Sub-section (4) of Section 5 of the Principal Act shall be omitted. **Omission of Section 5 (4).**

4. In sub-section (5) of Section 5 of the Principal Act after the words "repairs and maintenance" the words "and furnishing" and before the word "residence" wherever it occurs including in explanation of this section the words "office cum" shall be added. **Amendment of Section 5 (5).**

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मई 2010—वैशाख 17, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 5081/106/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-04-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "सात हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन. 3. (एक) धारा 4 की उप-धारा (2) में शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) धारा 4 की उप-धारा (3) में शब्द "सात सौ सड़सठ" के स्थान पर शब्द "एक हजार एक सौ" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 5081/106/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2010)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 3 of the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980) (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "One Thousand Five Hundred" the words "Seven Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 3.**

3. (i) In sub-section (2) of Section 4 for the words "Five Thousand" the words "Eight Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 4.**

(ii) In sub-section (3) of Section 4 for the words "Seven Hundred Sixty Seven" the words "One Thousand One Hundred" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी, 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल 2013—चैत्र 25, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 3024/डी. 108/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-04-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 10 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द "सात हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन.

4. (एक) मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में शब्द "आठ हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में शब्द "एक हजार एक सौ रुपये प्रतिदिन" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

अनुसूची का अन्तः स्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :—

अनुसूची
[धारा 2 (ग) देखें]

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	नेता प्रतिपक्ष का वेतन	रुपये 27,000 प्रतिमास
धारा 4 (2)	नेता प्रतिपक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमास
धारा 4 (3)	नेता प्रतिपक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 3024/डी. 108/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2013)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth Year of the Re-public of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. After clause (b) of Section 2 of the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be added, namely :— **Amendment of Section 2.**

"(c) "Schedule" means a Schedule appended to this Act."

3. In Section 3 of the Principal Act, for the words "of Seven Thousand per mensem" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted. **Amendment of Section 3.**

4. (1) In sub-section (2) of Section 4 of the Principal Act, for the words "of Eight Thousand per mensem" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted. **Amendment of Section 4.**

(2) In sub-section (3) of Section 4 of the Principal Act, for the words "of One Thousand One Hundred per day" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Insertion of Schedule.

5. After Section 16 of the Principal Act, the following Schedule shall be added, namely :—

"SCHEDULE
[See Section 2(c)]

Section (1)	Pay/Allowance Particular (2)	Amount (3)
Section 3	Salary of Neta Pratipaksha	Rupees 27,000 per mensem
Section 4 (2)	Constituency allowance to the Neta Pratipaksha	Rupees 27,000 per mensem
Section 4 (3)	Daily allowance to the Neta Pratipaksha	Rupees 1,200 Per day"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016—वैशाख 9, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4230/डी. 142/21-अ/प्रारू./छ.ग./16.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22-04-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 15 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची
[धारा 2(ग) देखें]

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	नेता प्रतिपक्ष का वेतन	रुपये 30,000 प्रतिमास
धारा 4(2)	नेता प्रतिपक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 40,000 प्रतिमास
धारा 4(3)	नेता प्रतिपक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 2,000 प्रतिदिन"

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4230/डी. 142/21-अ/प्रारू./छ.ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2016)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattistgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Thatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For the existing Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Schedule.**

"SCHEDULE
[See Section 2(c)]

Section (1)	Pay/Allowance Particular (2)	Amount (3)
Section 3	Salary of Neta Pratipaksha	Rupees 30,000 per mensem
Section 4(2)	Constituency allowance to the Neta Pratipaksha.	Rupees 40,000 per mensem
Section 4(3)	Daily allowance to the Neta Pratipaksha	Rupees 2,000 per day"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.

CHHATTISGARH ACT
(No.19 of 2002)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSH (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ACT, 2002

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksh (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty third year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksh (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 19 of 2002). **Short title and Commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

2. In sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksh (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (hereinafter referred to Principal Act) after the words "of a furnished" the words "office cum" shall be added. **Amendment of Section 5 (1).**

3. Sub-section (4) of Section 5 of the Principal Act shall be omitted. **Omission of Section 5 (4).**

4. In sub-section (5) of Section 5 of the Principal Act after the words "repairs and maintenance" the words "and furnishing" and before the word "residence" wherever it occurs including in explanation of this section the words "office cum" shall be added. **Amendment of Section 5 (5).**

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 568] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 21, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

क्रमांक 10025/डी. 92/21-अ/प्रारू./छ. ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्र. 8 सन् 1980) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्र. 8 सन् 1980) की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखें]

धारा	वेतन/भत्तों का विवरण	राशि
(1)	(2)	(3)
धारा 3	नेता प्रतिपक्ष का वेतन	रूपये 45,000 प्रतिमास
धारा 4(2)	नेता प्रतिपक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रूपये 70,000 प्रतिमास
धारा 4(3)	नेता प्रतिपक्ष को दैनिक भत्ता	रूपये 2,500 प्रतिदिन"

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

क्रमांक 10025/डी. 92/21-अ/प्रारू./छ. ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 12-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2022)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. For the existing Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980), the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

[See Section 2 (c)]

Section	Pay/Allowance Particular	Amount
(1)	(2)	(3)
Section 3	Salary of Neta Pratipaksha	Rupees 45,000 per mensem
Section 4(2)	Constituency allowance to the Neta Pratipaksha	Rupees 70,000 per mensem
Section 4(3)	Daily allowance to the Neta Pratipaksha	Rupees 2,500 per day"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022.